

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2424.
उत्तर देने की तारीख 08.07.2019
जनजातियों हेतु कल्याण नीति

2424. श्रीमती रीती पाठक:

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातियों के कल्याण हेतु आवंटित कुल निधि कितनी है; और
(ख) इससे किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों / कार्यक्रमों के तहत आवंटित निधि का स्कीम-वार विवरण **अनुलग्नक- I** पर दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत निर्मुक्त और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-1

“जनजातियों हेतु कल्याण नीति” के संबंध में दिनांक 08.07.2019 को सांसद श्रीमती रीति पाठक और श्री प्रताप राव पाटिल चिखलीकर द्वारा लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2424 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के स्कीम /कार्यक्रमों के तहत बजट अनुमानतथा संशोधित अनुमानके स्कीम-वार ब्यौरे।

(करोड़ रु.में)

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
		2016-17		2017-18		2018-19	
1	जनजातीय उप.योजना को विशेष केंद्रीय सहायता)टीएसएस को एससीए(1250.00	1200.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
2	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	1400.00	1260.00	1500.01	1500.00	1800.01	1820.00
	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	एनएसटीएफडीसी को सहायता	70.00	60.00	60.00	55.00	65.00	65.00
4	वन बंधु कल्याण योजना	1.00	1.00	0.01	शून्य	0.01	शून्य
5	अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	120.00	120.00	120.00	120.00	130.00	120.00
6	जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह)पीवीटीजी (का विकास	200.00	340.00	270.00	240.00	260.00	250.00
8	जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता)टाइफेड(49.00	49.00	49.00	44.95	54.15	72.50
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों सहायता को (टीआरआई)	21.00	17.00	80.00	80.00	100.00	100.00
10	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य) एमएफपी के लिए एमएसपी(158.00	3.00	100.00	25.00	130.00	97.47
11	जनजातीय विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	50.00	80.00	120.00	100.00	100.00	100.00
12	विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	1.00	0.39	1.00	1.00	2.00	2.00
13	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	शून्य	शून्य	265.00	318.00	350.00	310.00
14	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	शून्य	शून्य	1347.07	1436.00	1586.00	1643.03
15	बालक और बालिका छात्रावास	शून्य	शून्य	10.00	7.00	शून्य	शून्य
16	आश्रम विद्यालय	शून्य	शून्य	10.00	7.00	शून्य	शून्य
17	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र) एनजीओ(शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र) राज्य(शून्य	शून्य	3.00	शून्य	शून्य	शून्य
19	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम :जनजातीय शिक्षा	1454.22	1659.84	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

20	जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा	17.39	6.39	12.04	6.35	25.00	25.00
	कुल	4791.61	4796.62	5297.13	5290.30	5952.17	5955.00

अनुलग्नक-II

“जनजातियों हेतु कल्याण नीति” के संबंध में दिनांक 08.07.2019 को सांसद श्रीमति रीति पाठक और श्री प्रताप राव पाटिल चिखलीकर द्वारा लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2424 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत निर्मुक्त निधि के राज्य-वार ब्यौरे।

1. जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) :

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया
1	आंध्र प्रदेश	5000.42	5000.42	3624.77	3624.77	5617.3900	सूचित नहीं
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2211.8300	सूचित नहीं
3	असम	3407.80	1930.57	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	बिहार	743.74	सूचित नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	छत्तीसगढ़	11717.82	11717.82	14327.57	13125.49	10342.6500	10342.65
6	गोवा	455.68	455.68	559.09	सूचित नहीं	352.3100	सूचित नहीं
7	गुजरात	9488.00	9488.00	10270.41	8934.63	11765.3800	सूचित नहीं
8	हिमाचल प्रदेश	1959.39	1959.39	2291.20	2291.20	3627.9975	3517.26
9	जम्मू और कश्मीर	3671.61	3671.61	3626.50	3626.500	3749.8000	173.60
10	झारखंड	9820.75	8656.91	11372.49	3676.43	8564.5200	545.90
11	कर्नाटक	5100.00	5100.00	5955.37	3750.55	5347.7600	सूचित नहीं
12	केरल	808.09	288.10	808.43	367.06	335.0000	सूचित नहीं
13	मध्य प्रदेश	19236.61	15715.58	22828.70	9120.00	16968.9700	सूचित नहीं
14	महाराष्ट्र	9547.00	9547.00	13760.38	13760.38	13802.5700	2760.35
15	मणिपुर	2260.00	2260.00	3790.38	3790.38	5442.4800	सूचित नहीं
16	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2739.2000	सूचित नहीं
17	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1220.0000	सूचित नहीं
18	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3225.0000	सूचित नहीं
19	ओडिशा	11806.27	11806.27	11975.00	2100.00	17553.2200	सूचित नहीं
20	राजस्थान	11072.90	11072.90	10051.83	10051.83	10327.9300	2093.58
21	सिक्किम	1497.62	399.95	5986.00	242.89	0.0000	शून्य
22	तमिलनाडु	600.00	486.58	894.10	645.09	315.0000	सूचित नहीं

23	तेलंगाना	3845.35	3845.35	4493.55	1436.39	2850.3225	सूचित नहीं
24	त्रिपुरा	1345.76	1245.70	1649.77	1602.69	1294.3800	सूचित नहीं
25	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	679.00	247.73	1012.8800	सूचित नहीं
26	उत्तर प्रदेश	121.92	सूचित नहीं	458.35	सूचित नहीं	0.0000	शून्य
27	पश्चिम बंगाल	5995.50	5995.50	5397.11	5397.11	5833.4100	सूचित नहीं
कुल		119502.23	110643.33	134800.00	87791.12	134500.00	19433.34
		0					

II. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया
1	आंध्र प्रदेश	2869.43	2869.43	4591.11	757.26	6390.77	सूचित नहीं
2	अरुणाचल प्रदेश	6580.53	6580.53	8378.82	3324.68	12170.52	सूचित नहीं
3	असम	844.12	618.82	शून्य	शून्य	3916.32	19.56
4	बिहार	1467.58	1433.88	991.89	सूचित नहीं	शून्य	शून्य
5	छत्तीसगढ़	10488.52	10488.52	10964.49	10964.49	11352.92	सूचित नहीं
6	गोवा	450.00	126.19	103.00	सूचित नहीं	345.66	सूचित नहीं
7	गुजरात	9739.02	9739.02	11384.08	6504.78	11648.20	सूचित नहीं
8	हिमाचल प्रदेश	1595.87	1595.87	2074.70	2074.70	3378.16	3242.16
9	जम्मू और कश्मीर	3539.66	156.77	3049.06	सूचित नहीं	2051.79	सूचित नहीं
10	झारखंड	9489.38	6254.74	12386.93	4217.01	7354.30	2359.68
11	कर्नाटक	4664.00	4664.00	5881.74	5065.81	5220.61	1741.610
12	केरल	695.58	412.86	803.17	सूचित नहीं	472.28	सूचित नहीं
13	मध्य प्रदेश	14971.43	14971.43	22399.48	4587.92	24635.30	सूचित नहीं
14	महाराष्ट्र	11536.53	11536.53	13862.24	12862.24	17015.91	1766.34
15	मणिपुर	1694.40	1694.40	2308.80	2308.80	5367.65	सूचित नहीं
16	मेघालय	1576.21	536.36	3603.40	875.00	5129.79	सूचित नहीं
17	मिजोरम	1927.49	1927.49	2504.41	2504.41	3507.71	2876.55
18	नागालैंड	6368.00	6368.00	4434.11	4434.11	9194.49	4368.51
19	ओडिशा	11954.96	11954.96	15995.30	2900.00	21449.15	सूचित नहीं

20	राजस्थान	10341.39	10341.39	10240.58	2048.12	13769.23	सूचित नहीं
21	सिक्किम	1147.00	1147.00	405.30	354.48	355.34	354.48
22	तमिलनाडु	798.24	798.24	378.00	219.48	773.57	सूचित नहीं
23	तेलंगाना	3608.05	3608.05	5015.32	सूचित नहीं	3248.89	सूचित नहीं
24	त्रिपुरा	1280.99	1280.99	2040.99	706.59	2006.73	सूचित नहीं
25	उत्तर प्रदेश	1138.62	890.12	189.00	189.00	252.43	252
26	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	1577.56	263.21	1255.27	सूचित नहीं
27	पश्चिम बंगाल	5814.37	5814.37	5376.51	5376.51	9235.73	सूचित नहीं
कुल		126581.37	117801.96	150939.99	72538.60	181498.72	16994.89

III. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी (का विकास:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया
1	आंध्र प्रदेश	5105.00	5105.00	2076.00	2076.00	1837.00	सूचित नहीं
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.00	57.00	200.00	शून्य	शून्य	शून्य
3	बिहार	342.87	सूचित नहीं	295.91	158.47	शून्य	शून्य
4	छत्तीसगढ़	1230.00	1230.00	1089.50	1089.50	1051.50	सूचित नहीं
5	गुजरात	779.12	779.12	390.67	390.67	604.00	सूचित नहीं
6	झारखंड	3120.00	3120.00	2043.75	2047.75	3295.79	सूचित नहीं
7	कर्नाटक	136.00	136.00	467.00	467.00	460.00	सूचित नहीं
8	केरल	100.00	सूचित नहीं	62.00	सूचित नहीं	शून्य	शून्य
9	मध्य प्रदेश	10460.40	9950.40	8232.46	8232.46	7998.09	सूचित नहीं
10	महाराष्ट्र	2077.00	2077.00	1226.25	1226.25	1230.26	सूचित नहीं
11	मणिपुर	329.00	329.00	195.00	195.00	1157.55	सूचित नहीं
12	ओडिशा	1379.00	1379.00	1297.00	1012.31	3626.00	सूचित नहीं
13	राजस्थान	1331.00	1331.00	1038.00	1038.00	1008.00	सूचित नहीं
14	तमिलनाडु	3055.00	2355.00	1770.75	1458.55	शून्य	शून्य
15	तेलंगाना	1139.00	1139.00	778.00	778.00	533.00	सूचित नहीं
16	त्रिपुरा	2250.00	2110.28	2305.00	1716.63	789.53	सूचित नहीं
17	पश्चिम बंगाल	574.00	574.00	330.76	330.76	843.42	सूचित नहीं
18	उत्तराखंड	292.48	292.48	130.00	47.00	565.86	सूचित नहीं
19	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	17.96	सूचित नहीं	शून्य	शून्य
कुल		33799.87	31964.28	23946.01	22264.35	25000.00	0.00

IV. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना:

(लाख रु. में)							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया
1	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.00	सूचित नहीं
2	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	5282.94	5282.94	1210.81	सूचित नहीं
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	321.33	सूचित नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	छत्तीसगढ़	2534.15	2534.15	1805.30	1805.30	4755.63	सूचित नहीं
7	दादर और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	20.00	सूचित नहीं
8	दमन और दीव	शून्य	शून्य	8.04	8.04	शून्य	शून्य
9	गोवा	52.64	52.64	3.75	3.75	80.83	16.88
10	गुजरात	80.81	80.81	3650.84	3650.84	4482.31	शून्य
11	हिमाचल प्रदेश	51.21	51.21	शून्य	शून्य	38.91	सूचित नहीं
12	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	झारखंड	शून्य	शून्य	1704.53	1704.53	2345.92	सूचित नहीं
14	कर्नाटक	शून्य	शून्य	1364.59	1364.59	1256.31	1003.18
15	केरल	796.40	796.40	शून्य	शून्य	308.73	सूचित नहीं
16	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	5539.17	5539.17	5884.33	सूचित नहीं
17	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	मणिपुर	867.38	867.38	619.09	619.09	773	सूचित नहीं
19	मेघालय	शून्य	शून्य	156.69	122.94	शून्य	शून्य
20	मिजोरम	336.36	336.36	132.25	132.25	319.79	सूचित नहीं
21	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22	ओडिशा	3376.36	3376.36	5134.98	5134.98	6665.88	1448.55
23	राजस्थान	शून्य	शून्य	3284.79	3284.79	1716.12	1716.12
24	सिक्किम	शून्य	शून्य	25.72	25.72	7.97	सूचित नहीं
25	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	तेलंगाना	शून्य	शून्य	358.02	358.02	693.84	सूचित नहीं
27	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	232.89	सूचित नहीं	शून्य	शून्य
28	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	0.00	शून्य	शून्य	शून्य
29	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	104.44	104.44	शून्य	शून्य
30	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	584.62	सूचित नहीं

कुल	8416.64	8095.31	29408.03	29141.39	31150.00	4184.73
-----	---------	---------	----------	----------	----------	---------

v अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:

(लाख रु. में)							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10.09	सूचित नहीं
2	आंध्र प्रदेश	9777.62	9777.62	8269.11	8269.11	13945.02	सूचित नहीं
3	अरुणाचल प्रदेश	1136.32	1136.32	5803.65	5803.65	1883.82	सूचित नहीं
4	असम	266.65	266.65	2516.48	2516.48	3248.03	सूचित नहीं
5	बिहार	शून्य	शून्य	71.25	सूचित नहीं	शून्य	शून्य
6	छत्तीसगढ़	2674.82	2674.82	3811.26	3811.26	4609.57	सूचित नहीं
7	दमन और दीव	53.63	53.63	26.19	26.19	3.41	सूचित नहीं
8	गोवा	645.00	645.00	364.80	364.80	536.26	सूचित नहीं
9	गुजरात	22040.27	22040.27	14609.74	14609.74	32429.12	सूचित नहीं
10	हिमाचल प्रदेश	931.36	931.36	3123.36	3123.36	278.15	सूचित नहीं
11	जम्मू और कश्मीर	2587.84	2587.84	2322.56	1578.20	637.93	सूचित नहीं
12	झारखंड	8148.39	8148.39	2716.50	2716.50	5281.32	सूचित नहीं
13	कर्नाटक	8540.00	8540.00	8873.31	8873.31	7341.33	सूचित नहीं
14	केरल	3122.00	3122.00	2745.46	2745.46	2674.37	सूचित नहीं
15	मध्य प्रदेश	13054.00	13054.00	10320.50	10320.50	13405.24	सूचित नहीं
16	महाराष्ट्र	22092.28	22092.28	10884.91	10884.91	15238.15	सूचित नहीं
17	मणिपुर	3385.20	3385.20	6382.55	6370.06	2026.76	सूचित नहीं
18	मेघालय	3189.00	3189.00	770.50	770.50	2457.52	सूचित नहीं
19	मिजोरम	4267.52	4267.52	2434.73	2434.73	3528.21	सूचित नहीं
20	नागालैंड	1344.00	1344.00	2515.00	2515.00	4716.66	सूचित नहीं
21	ओडिशा	15556.48	15556.48	8784.18	8784.18	14801.92	14801.92
22	राजस्थान	9800.00	9800.00	19912.49	19912.49	13598.95	3405.92
23	सिक्किम	938.16	938.16	1247.32	1247.32	1134.36	सूचित नहीं
24	तमिलनाडु	3061.85	3061.85	2440.39	2440.39	3933.65	सूचित नहीं
25	तेलंगाना	11483.00	11483.00	18031.25	18031.25	9921.68	सूचित नहीं
26	त्रिपुरा	1323.90	1323.90	2756.25	2756.25	3626.55	सूचित नहीं
27	उत्तर प्रदेश	1057.50	1057.50	1244.91	1243.47	1210.54	सूचित नहीं
28	उत्तराखंड	5090.57	3591.84	600.25	सूचित नहीं	शून्य	शून्य
29	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	2807.89	2807.89	2219.39	सूचित नहीं
कुल		155567.36	154068.64	146386.79	144957.00	164698.00	18207.84

VI. जनजातीय उत्पाद /उपज के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत समर्थन की योजना:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संस्थान	2016-17		2017-18		2018-19	
		निमुक्त निधि	उपयोग किया गया	निमुक्त निधि	उपयोग किया गया	निमुक्त निधि	उपयोग किया गया
1	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	केरल	शून्य	शून्य	393.52	298.52	शून्य	शून्य
3	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	राजस्थान	43.43	सूचित नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	त्रिपुरा	351.10	276.79	201.48	सूचित नहीं	शून्य	शून्य
6	पश्चिम बंगाल	431.47	431.47	शून्य	शून्य	85.00	सूचित नहीं
7	मिजोरम	174.00	174.00	शून्य	शून्य	696.00	696.00
9	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	219.00	सूचित नहीं
8	ट्राइफेड	3900.00	3900.00	3900.00	3900.00	6250.00	सूचित नहीं

VII. न्यूनतम समर्थन मूल्य) एमएसपी (के माध्यम से लघु वन उत्पाद) एमएफपी (के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास की योजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संस्थान का नाम	2016-17	2017-18	2018-19
1	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य
2	गुजरात	शून्य	शून्य	619.00
3	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
4	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य
5	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
6	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	2681.00
7	छत्तीसगढ़	शून्य	89.00	शून्य
8	आंध्र प्रदेश	शून्य	300.00	710.00
9	मणिपुर	शून्य	11.00	90.00
10	नागालैंड	शून्य	19.00	88.00
11	उत्तर प्रदेश	शून्य	240.00	821.00
12	केरल	शून्य	शून्य	418.00
13	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	657.00
14	कर्नाटक	शून्य	शून्य	125.00

	कुल	शून्य	659.00	6209.00
--	-----	-------	--------	---------

निधियों की उपयोगिता की स्थिति: उक्त उपनिधियां एमएफपी की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान हेतु राज्य स्तर पर परिचालित निधि के रूप में जारी की जाती है। एमएफपी का निपटान होने के बाद, वहाँ से आय, इस निधि में वापस जमा की जाएगी। इसलिए, योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा कोई उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। कई कार्यान्वयन एजेंसियों से बुनियादी ढांचे के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

VIII. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम) एनएसटीएफडीसी) / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम)एसटीएफडीसी) को सहायता- :

एसटीएफडीसी को निर्मुक्तकेंद्रीय शेयर पूंजी / इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा) 5.12.2018 तक(

(लाख रु.में)

1	राज्य /निगम का नाम	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		निर्मुक्त निधि	उपयोग	निर्मुक्त निधि	उपयोग	निर्मुक्त निधि	उपयोग	निर्मुक्त निधि	उपयोग	निर्मुक्त निधि	उपयोग	निर्मुक्त निधि	उपयोग
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	अरुणाचल प्रदेश इण्डिया विकास तथा वित्त निगम, ईटानगर	200.00	200.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.00	5.00	शून्य	शून्य
3	गोवा राज्य अजजावित्त तथा विकास लिमिटेड, पणजी	शून्य	शून्य	640.00	640.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	465.00	465.00	शून्य	शून्य
4	एचपी अज और अजजाविकास निगम, सोलन	88.00	सूचित नहीं	42.00	सूचित नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	जम्मू और कश्मीर अज, अजजा और अपि वर्ग विकास निगमजम्मू	577.00	577.00	470.00	470.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अजजाविकास निगम, बंगलुरु	800.00	792.59	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	केरल राज्य एससी एंड एसटीविकास निगम लिमिटेड) केएसडीसी), त्रिशूर	30.00	30.00	20.00	20.00	22.00	22.00	शून्य	शून्य	50.00	सूचित नहीं	शून्य	शून्य
9	एमपी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम)एमपीएवीवीएन), भोपाल	530.00	530.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उड़ीसा एससी एसटी विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर	90.00	90.00	8.00	8.00	0.50	सूचित नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	सिक्किम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड, गैंगटोक	250.00	250.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड) टीएसटीडीसी), अगरतला	185.00	185.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	300.00	सूचित नहीं

14	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त (डब्ल्यूबीएससीटीडीसी), कोलकाता	300.00	300.00	1720.00	1720.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	500.00	सूचित नहीं
16	एनएसटीएफडीसी) दिल्ली(3000.00	3000.00	4100.00	4100.00	6310.50	6310.50	6000.00	6000.00	4980.00	4980.00	5700.00	5700.00

IX. जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता :

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		निर्मुक्त	उपयोग किया गया	निर्मुक्त	उपयोग किया गया	निर्मुक्त	उपयोग किया गया
1	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	940.42	470.00	749.58	सूचित नहीं
2	अण्डमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	99	सूचित नहीं
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	647.99	सूचित नहीं	253.01	सूचित नहीं
4	असम	शून्य	शून्य	183.65	152.15	198.75	सूचित नहीं
5	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	168.73	23.46	504.49	सूचित नहीं
6	गुजरात	शून्य	शून्य	2438.00	2438.00	शून्य	शून्य
7	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	106.8	सूचित नहीं
8	जम्मू और कश्मीर	340.00	240.00	शून्य	शून्य	97	सूचित नहीं
9	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1211.83	1211.83
10	कर्नाटक	117.00	117.00	130.00	115.00	106	0.00
11	केरल	67.99	36.35	745.65	सूचित नहीं	401.25	सूचित नहीं
12	मध्य प्रदेश	54.35	54.35	732.51	168.14	738.3445	सूचित नहीं
13	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	485.01	सूचित नहीं
14	मणिपुर	109.00	109.00	58.00	58.00	530.11	सूचित नहीं
15	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	564.36	202.00
16	नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	825	50.00
17	ओडिशा	322.39	334.89	662.90	647.90	819.07	500.00
18	राजस्थान	शून्य	शून्य	169.25	169.25	214	सूचित नहीं
19	सिक्किम	111.00	111.00	136.00	136.00	194.5	194.5
20	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	133.20	सूचित नहीं	177.25	42.42
21	तेलंगाना	121.90	121.90	339.50	339.50	454	सूचित नहीं
22	त्रिपुरा	73.25	73.25	198.75	171.24	316.14	सूचित नहीं
23	उत्तर प्रदेश	43.26	सूचित नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24	पश्चिम बंगाल	150.82	150.82	215.45	215.45	380.15	380.15
25	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	574.3515	सूचित नहीं
	कुल	1510.96	1348.56	7900.00	5104.09	10000.00	2580.90

X. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान:

(लाख रु. में)				
क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	160.58	176.73	128.76
2	अरुणाचल प्रदेश	456.05	605.24	487.11
3	असम	137.66	170.77	188.77
4	छत्तीसगढ़	65.97	75.36	110.33
5	गुजरात	111.94	73.15	146.90
6	हिमाचल प्रदेश	277.34	251.10	280.16
7	झारखंड	405.76	966.29	1429.16
8	जम्मू और कश्मीर	शून्य	19.69	19.69
9	कर्नाटक	389.10	244.94	467.72
10	केरल	113.55	66.56	77.30
11	मध्य प्रदेश	152.78	119.21	306.95
12	महाराष्ट्र	202.95	377.48	312.32
13	मणिपुर	394.06	264.29	206.19
14	मेघालय	606.93	697.71	824.78
15	मिजोरम	40.16	55.89	93.73
16	नगालैंड	शून्य	30.80	18.04
17	ओडिशा	457.37	1168.97	2222.85
18	राजस्थान	67.83	14.50	126.02
19	सिक्किम	52.05	90.81	85.02
20	तमिलनाडु	38.91	280.50	329.13
21	तेलंगाना	637.87	76.76	53.64
22	त्रिपुरा	66.02	32.62	57.72
23	उत्तराखंड	112.64	37.42	133.81
24	उत्तर प्रदेश	34.49	67.43	शून्य
25	पश्चिम बंगाल	315.33	937.43	805.67
26	दिल्ली	9.07	17.15	5.41
कुल		5306.41	6918.80	8917.18

नोट -अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजनाओं के तहत अनुदान सहायता पिछले अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद ही जारी की जाती है और इसलिए, योजनाओं के तहत कोई उपयोग प्रमाणपत्र लंबित नहीं है। किसी भी गैर-सरकारी संगठन को बाद के अनुदान जारी करते समय, यदि कोई हो, तो शेष राशि समायोजित की जाती है।

XI. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय बालिकाओं के लिए शिक्षा के सुदृढीकरण की योजना:

(लाख रु. में)				
क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	270.94	1117.23	शून्य
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	37.64	शून्य
3	छत्तीसगढ़	39.63	37.12	64.49
4	गुजरात	2857.93	1512.48	93.21
5	झारखंड	शून्य	शून्य	36.13
6	मध्य प्रदेश	420.05	325.21	635.02
7	महाराष्ट्र	158.38	149.86	254.60
8	ओडिशा	1929.41	1102.18	1013.56
9	राजस्थान	148.78	25.13	168.17
10	तेलंगाना	719.76	321.91	शून्य
कुल		6544.88	4628.76	2265.18

नोट -कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय बालिकाओं के लिए शिक्षा के सुदृढीकरण की योजना के तहत अनुदान सहायता पिछले अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद ही जारी की जाती है और इसलिए, योजनाओं के तहत कोई उपयोग प्रमाणपत्र लंबित नहीं है। किसी भी गैर-सरकारी संगठन को बाद के अनुदान जारी करते समय, यदि कोई हो, तो शेष राशि समायोजित की जाती है।

XII. जनजातीय क्षेत्रों (गैर सरकारी संगठनों) में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19
1	असम	93.00	183.09	90.57
2	कर्नाटक	शून्य	59.60	17.04
3	मध्य प्रदेश	शून्य	83.09	25.06
4	मेघालय	शून्य	59.33	26.64

5	नगालैंड	24.48	शून्य	27.12
6	तमिलनाडु	31.2	61.55	31.20
	कुल योग	148.68	446.66	217.63

नोट- जनजातीय क्षेत्रों (गैर सरकारी संगठनों) में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत अनुदान सहायता पिछले अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद ही जारी की जाती है और इसलिए, योजनाओं के तहत कोई उपयोग प्रमाणपत्र लंबित नहीं है। किसी भी गैर-सरकारी संगठन को बाद के अनुदान जारी करते समय, यदि कोई हो, तो शेष राशि समायोजित की जाती है।
